MIB UNVEILS UNIFIED BROADCASTING FRAMEWORK

The Ministry of Information & Broadcasting has released draft rules to bring television, radio and digital broadcasting services under a single regulatory framework. The move aims to simplify compliance, modernise governance and create a more streamlined broadcasting ecosystem.

The Ministry of Information & Broadcasting (MIB) has issued the draft Telecommunications (Broadcasting and Associated Services) Rules, 2026, marking a significant step toward consolidating India's broadcasting regulations. The proposed framework seeks to bring television channels, Direct-to-Home (DTH), Headend-in-the-Sky (HITS), Internet Protocol Television (IPTV), radio and associated broadcasting services under a unified regulatory structure aligned with the Telecommunications Act, 2023.

The draft rules aim to replace multiple legacy provisions with a single, harmonised framework designed to improve ease of doing business and regulatory clarity. While television, radio and distribution services will be governed under the new rules, OTT streaming platforms will continue to remain outside their ambit and will be regulated separately under existing IT Rules.

The proposed framework covers television broadcasters, distribution platforms, private radio operators, community radio stations, television news agencies and IPTV service providers operating over closed networks. Existing licence holders will have the option to migrate to the new authorisation regime, though licences that expire under the current system will not be eligible for renewal under the old framework.

Importantly, the draft retains existing provisions related to ownership norms, foreign investment limits, security clearances and residency requirements for key management personnel. News broadcasters and private radio operators will continue to be subject to stringent security compliance obligations.

Operational continuity has also been emphasised. Television channels will be required to remain on air throughout the validity of their authorisation. Channels remaining non-operational for extended periods may face cancellation of authorisation. Broadcasters will also be required to preserve programme and advertising records for at least 90 days for monitoring and inspection purposes.

Industry stakeholders view the move as a major regulatory reform that could simplify licensing, enhance transparency and support the long-term growth of India's broadcasting sector.■

एमआईबी ने एकीकृत प्रसारण फ्रेमवर्क पेश किया

सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने टीवी, रेडियो और डिजिटल प्रसारण सेवाओं को एक ही नियामक फ्रेमवर्क के तहत लाने के लिए नियमों का फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है। इस कदम का मकसद नियमों का पालन आसान बनाना, गवर्नेंस को आधुनिक बनाना और प्रसारण के लिए एक बेहतर व व्यवस्थित इकोसिस्टम बनाना है।

सूचना व प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने टेलीकम्युनिकेशंस (प्रसारण व संबंधित सेवायें) नियम, **2026** का ड्राफ्ट जारी किया है। यह भारत के प्रसारण नियमों को एकसाथ लाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस प्रस्तावित ढ़ांचे का मकसद टेलीविजन चैनलों, डॉयरेक्ट–टू–होम (डीटीएच), हेडएंड–इन–द–स्काई (हिट्स), इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी), रेडियो और संबंधित प्रसारण सेवाओं को दूरसंचार एक्ट, **2023** के तहत एक ही रेगुलेटरी ढ़ांचे में लाना है।

इन ड्राफ्ट नियमों का मकसद कई पुराने नियमों की जगह एक ऐसा सिस्टम लाना है जिससे 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' और रेगुलेटरी स्पष्टता बेहतर हो सके। नये नियमों के तहत टेलीविजन, रेडियो और वितरण सेवायें तो आयेंगी, लेकिन ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसके दायरे से बाहर रहेंगी और मौजूदा आईटी नियमों के तहत अलग से रेगुलेट किये जायेंगे।

इस प्रस्तावित फ्रेमवर्क में टेलीविजन प्रसारक, वितरण प्लेटफॉर्म, निजी रेडियो ऑपरेटर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, टेलीविजन न्यूज एजेंसी और क्लोज्ड नेटवर्क पर चलने वाले आईपीटीवी प्रदायक शामिल हैं। मौजूदा लाइसेंस धारक के पास नये अथॉराइजेशन सिस्टम में जाने का विकल्प होगा, हालांकि मौजूदा सिस्टम के तहत खत्म होने वाले लाइसेंस पुराने फ्रेमवर्क के तहत रिन्यूअल के लिए योग्य नहीं होंगे।

खास बात यह है कि ड्राफ्ट में मालिकाना हक के नियमों, विदेशी निवेश की सीमा, सुरक्षा मंजूरी और मुख्य मैनेजमेंट कर्मचारियों के लिए रेजिडेंसी से जुड़े मौजूदा प्रावधानों को बनाये रखा गया है। न्यूज प्रसारक और निजी रेडियो संचालकों को कड़े सुरक्षा नियमों का पालन करना जारी रखना होगा।

काम काज जारी रखने पर भी जोर दिया गया है। टेलीविजन चैनलों को अपनी मंजूरी की अवधि के दौरान ऑन–एयर बने रहना होगा। जो चैनल लंबे समय तक बंद रहेंगे, उनकी मंजूरी रद्द की जा सकती है। प्रसारकों को मॉनिटरिंग और जांच के लिए कम से कम **90** दिनों के कार्यक्रम और विज्ञापन के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने होंगे।

उद्योग से जुड़े लोग इस कदम को एक बड़े रेगुलेटरी सुधार के तौर पर देख रहे हैं जिससे लाइसेंसिंग आसान हो सकती है, पारदर्शिता बढ़ सकती है और भारत के प्रसारण क्षेत्र की लंबे समय की विकास को बढ़ावा मिल सकता है। ■